

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-4, राज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-4, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चन्द्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2020 से 15.07.2020 तक श्री शशिकांत पांडे वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनन्द कुमार पांडे, ले0प0 श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी एवं श्री डी.के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.11.2019 से 14.11.2019 तक श्री के. एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - चकराता रोड, जी एम एस रोड (बांयी तरफ), सहारनपुर रोड (दायी तरफ)

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	2975.34
2018-19	2978.25
2019-20	4805.46

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
			आहरण वितरण कार्य नहीं किया जाता है					

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-4, राज्य कर, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-4, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: --- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: कर का न्यूनारोपण ` 47.70 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 1: देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का एवं ब्याज का अनारोपण रु0 44.40 लाख।

प्रस्तर-2: कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति रु4.29 लाख।

प्रस्तर-3: गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु0 0.62 लाख।

STAN

STAN-01: देय कर पर नियमानुसार ब्याज की वसूली न किया जाना ` 0.51 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 'अ'**प्रस्तर-1: कर का न्यूनारोपण ` 47.70 लाख।**

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-4 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त व्यापारी सर्वश्री इंडेग रबर लिमिटेड की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में **Tyre Retreading Rubber** की `5,61,18,080/- की बिक्री पर 5% की दर से `28,05,904/- की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि **Tyre Retreading Rubber** के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण, इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः `5,61,18,080/- की **Tyre Retreading Rubber** की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से `47,70,037/- का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा प्रीक्योर्ड रबड का निर्माणोपरांत बिक्री की जाती है जिसका उपयोग टायर रिट्रीडिंग में होने के कारण इसको रिट्रीडिंग मटिरियल भी कहा जाता है। अतः उक्त पर करदेयता 5% की दर से होगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक 2163/धारा-57/आयु.क.उत्तरा.दे.दून./2008-09 दिनांक 19 सितंबर 2008 द्वारा दिये गए निर्णय में यह स्पष्ट किया कि Tread Rubber अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.50 प्रतिशत (अब 13.50 प्रतिशत) की दर से कर योग्य मानी जाएगी।

अतः कर के न्यूनारोपण के कारण ` 47.70 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 1: देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का एवं ब्याज का अनारोपण ₹44.40 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त रु0 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त रु0 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में:-

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हजार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा (दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)

(ii) यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा। (दिनांक 31.03.2015 से)

(iii) यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हजार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा। (दिनांक 31.03.2015 से)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, 'स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - 4, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दो व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 8,69,31,033/- को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम `43,46,552/- का अर्थदण्ड एवं `93,331/- का ब्याज अर्थात् कुल `44,39,882/- ($43,46,552 + 93,331$) आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के विषय में इंगित करने पर व्यापारी सर्वश्री ब्लू स्टार लिमिटेड (05000830927) के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि चेक क्लियरेंस में लगी 2 से 4 दिन की देरी से व्यापारी की कोई गलत मंशा प्रमाणित नहीं होती है। अतः अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर क्रेताओं से वसूल करने के पश्चात कर को राजकोष में जमा करने के लिए अंतिम देय तिथि को ही बार बार चेक जमा किया जाता है जो उक्त व्यापारी के habitual offender होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर के विलंब से जमा किए जाने का कोई युक्ति युक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा युक्ति युक्त कारण को स्वीकृत करते हुए कर विलंब से जमा से करने की अनुमति प्रदान की है।

व्यापारी सर्वश्री रोहन मोटर्स लिमिटेड (टिन: 05000961780) के संबंध में इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गए निर्णयों का संदर्भ देते हुए यह उत्तर दिया गया कि जहां पर कर ब्याज सहित जमा है वहाँ पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना उचित नहीं है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त व्यापारी सर्वश्री रोहन मोटर्स लिमिटेड द्वारा कर विलंब से जमा किए सभी प्रकरणों में ब्याज जमा नहीं किया गया है। यदि कर ब्याज सहित जमा है तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है क्योंकि इस विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फ्रंटियर स्प्रिंगज लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स उत्तर प्रदेश वाद में 04 अक्टूबर 2013 को दिये गए निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "It has to be kept in mind that payment of interest on the delayed amount of tax flows from statutory provision i.e. Section 8(1) of the Trade Tax Act while penalty proceedings are

taken for delayed payment of tax under Section 15A (1) (a) of the Trade Tax Act. Both interest and penalty are two different concepts. Interest flows from the retention of the money, which was legally payable, while penalty is inflicted for violation of statutory provisions and the time scheduled prescribed. In the totality of the circumstances as on record, this Court finds absolutely no illegality in the order passed by the Tribunal (The tribunal had earlier pronounced in the case that deposit of admitted amount of tax interest for delayed period by the assessee, will not dilute the levy of penalty).

अतः `44.40 लाख के अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर-2 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति `4.29 लाख।

Sub section (2) of the section 6 of the CST Act 1956 runs as under-

Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (1A), where a sale of any goods in the course of inter-State trade or commerce has either occasioned the movement of such goods from one State to another or has been effected by a transfer of documents of title to such goods during their movement from one State to another, **any subsequent sale** during such movement effected by a transfer of documents of title to such goods,- (A) To the Government, or (B) To a registered dealer other than the Government, if the goods are of the description referred to in sub-section (3) of Section 8, shall be exempt from tax under this Act:

Provided that no such subsequent sale shall be exempt from tax under this sub-section unless the dealer effecting the sale furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner and within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit, -

- (a) a certificate duly filled and signed by the registered dealer from whom the goods were purchased containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority; and
- (b) If the subsequent sale is made- (i) To a registered dealer, a declaration referred to in clause (a) of sub-section (4) of Section 8, or (ii) To the Government, not being a registered dealer, a certificate referred to in clause (b) of subsection (4) of Section 8:
- (c) Provided further that it shall not be necessary to furnish the declaration or the certificate referred to in clause (b) of the preceding proviso in respect of a subsequent sale of goods if,- (a) The sale or purchase of such goods is, under the sales tax law of the appropriate State, exempt from tax generally or is subject to tax generally at a rate which is lower than 18[four per cent] (whether called a tax or fee or by any other name); and (b) The dealer effecting such subsequent sale proves to the satisfaction of the authority referred to in the preceding proviso that such sale is of the nature referred to in clause (A) or clause (B) of this sub-section.

कार्यालय उप आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर -IV, देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान कर निर्धारण पत्रवालिओं की जांच में पाया गया की (कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.04.2019 के अनुसार) सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा ली आदत बाज़ार देहरादून (टिन: 05000661468 कर निर्धारण वर्ष 2015-16) द्वारा संगत वर्ष में फार्म ई-1 के विरुद्ध `19664980.00 के कोयले की खरीद की गयी । जिसके समर्थन में 01 फार्म ई संख्या

-14 रु 19664979.00 का दाखिल किया गया। संगत वर्ष के लिए फार्म ई -1/सी के विरुद्ध रु 20210535.00 की विक्री घोषित की गयी जिसके समर्थन मे 27 फार्म सी ` 19264230.00 दाखिल किए गए। व्यापारी द्वारा ` 946305.00 के फार्म सी दाखिल नहीं किए गए जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच मे पाया गया की उक्त फार्म ई -1 न. 14 रु 19664979.90 (निर्गत तिथि 03.10.2015) नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड कॉल इंडिया लिमिटेड मार्घरीटा असम द्वारा सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा ली आढ़त बाज़ार देहरादून को निर्गत किया गया। उक्त कन्साईमेंट Jagadhri (JDU) Haryana हेतु था। सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा ली आढ़त बाज़ार देहरादून द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड कॉल इंडिया लिमिटेड मार्घरीटा असम को उक्त खरीद के संबंध मे फॉर्म सी संख्या UKCO51516170162 dated 13.05.2015 निर्गत किया गया था। उक्त कोनसाइनमेंट का railway receipt no 412004692 date 31.03.2015 था। Subsequent sale के अंतर्गत सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा ली द्वारा विक्रीत माल हेतु क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत फार्म सी (कुल 27) की जांच पाया गया कि यदपि फार्म ई1 केवल Jagadhri (JDU) Haryana हेतु निर्गत तथापि 04 फार्म सी पंजाब के व्यापारियों द्वारा, 21 फार्म सी हरियाणा के व्यापारियों द्वारा, 02 फार्म सी ` 482715.00 एवं ` 979200.00 उत्तराखंड के व्यापारियों द्वारा निर्गत किया गया था। CST Rules 1957 के Rule 12 (4) के अनुसार वरटिगों इंपेक्स प्रा ली आढ़त बाज़ार देहरादून द्वारा किए गए विक्रय को सेल इन ट्रांसिट मानने एवं टैक्स एकस्पेशन का दावा करने हेतु उक्त क्रेता व्यापारियों को फार्म ई 2 निर्गत किया जाना चाहिए था परंतु उक्त फार्म ई 2 निर्गत नहीं किया गया। अतः उक्त विक्रय (फार्म सी समर्थित अंतर्प्रान्तीय संव्यवहार कुल ` 17802315.00) के संव्यवहार को अंतरराज्यीय विक्रय मानते हुए रियाती दर 2% से कर ` 356046.30 एवं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किए गए कुल विक्रय ` 1461915.00 (482715.00+979200.00 पर 5% से कर ` 73095.75 कुल ` 429141.75 मय ब्याज आरोपणीय एवं वसूली योग्य है।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि व्यापारी द्वारा अंतर्प्रान्तीय संव्यवहार के दौरान सेल इन ट्रांसिट की गयी है। केंद्रीय विक्री कर अधिनियम 1956 कि धारा 3(A) एवं 6 (2)(ए,बी) के प्रविधानों के अनुरूप कर मुक्ति के समर्थन मे फार्म ई1 एवं सी भी प्रस्तुत किए गए है, संप्रेक्षा दल कि यह आपत्ति कि व्यापारी द्वारा ई2 जारी नहीं किया गया है अतः कर मुक्ति प्रदान नहीं कि जा सकती

मान्य नहीं है। क्योंकि ई2 ऐसी स्थिति में दिया जाना था जब व्यापारी द्वारा जिस पार्टी को विक्री की गयी है उसे भी सेल इन ट्रांसिट के परिप्रेक्ष्य में (subsequent seller) कर मुक्ति चाहिए होती। यदि उक्त व्यापारी को पूर्ण दर से कर देयता स्वीकार हो एवं उसको further sale in transit न करना हो तो ई2 जारी नहीं किया जाना था अर्थात् उसको कर मुक्ति के लिए ई2 की आवश्यकता नहीं होने के कारण सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा लि. द्वारा ई2 जारी नहीं किया गया। मात्र इस आधार पर की सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा. लि. द्वारा ई-2 जारी नहीं किया गया है उनके द्वारा प्रस्तुत ई1/सी अस्वीकार करके कर देयता निर्धारित नहीं की जा सकती।

विभागीय आख्या अस्वीकार्य है क्योंकि

- 1- सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा ली द्वारा हरियाणा पंजाब एवं उत्तराखंड के व्यापारियों के साथ किया गया विक्रय संव्यवहार subsequent sale के अंतर्गत आता है और विहित प्रावधानों के अनुसार उक्त संव्यवहार के tax exemption हेतु फार्म ई2/सी अनिवार्य है,
- 2- 02 फार्म सी ` 482715.00 एवं ` 979200.00 उत्तराखण्ड के व्यापारियों द्वारा निर्गत किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा (A&G Projects and Technologies Ltd v. State of Karnatka (2209)19 VST 239;(2009) 2 SCC 326) में दिये गए निर्णय के अनुसार It is essential that the concerned sale must be a subsequent inter-State sale effected by transfer of documents of title to the goods during the movement of the goods from one state to another and it must be preceded by a prior inter-State sale. इस प्रकार उक्त सेल पर पूर्ण दर 5% के दर से कर आरोपणीय होना चाहिए।
- 3- यदपि फार्म ई1 केवल Jagadhri(JDU) Haryana हेतु निर्गत था परन्तु sale-in-transit से हरियाणा, पंजाब एवं उत्तराखंड के क्रेताओं के साथ हुए संव्यवहार को भी आच्छादित कर लिया गया।
- 4- विभाग द्वारा प्रस्तुत चार्ट के अनुसार भी सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा ली को second seller माना गया है अर्थात् दूसरी सेल (subsequent sale) सर्वश्री वरटिगों इंपेक्स प्रा. लि. द्वारा की गयी सेल है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'**प्रस्तर-3: गलत आईटीसी(ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.62 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (xi) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-4 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में गलत दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया था। अतः गलत दावा किए गए इनपुट टैक्स लाभ पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (xi) के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ₹ 61635.00/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था।

क्रम सं	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	दावकृत ITC	ITC अनुमन्य	गलत दावकृत ITC	अर्थदण्ड की राशि
1	कमल ज्वेलर्स राजपुर रोड	2015-16	1230435	1219969	10466	31398.00
2	इलैक्ट्रिकल सेल्स धामावाला	2015-16	7782482	7772403	10079	30237.00
				Total		₹61635.00

उपरोक्त के विषय में इंगित करने पर व्यापारी सर्वश्री कमल ज्वेलर्स के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा खरीद बिलों को प्रस्तुत किया गया था परंतु विक्रेता व्यापारी द्वारा B2B में उक्त बिक्री घोषित न किए जाने के कारण ITC अस्वीकार की गयी थी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रेता व्यापारी को ITC का लाभ तभी देय होता है जब विक्रेता व्यापारी द्वारा क्रेता व्यापारी से टैक्स वसूला गया है एवं राजकोष में जमा किया गया है। परंतु उक्त प्रकरण में विक्रेता व्यापारी द्वारा सर्वश्री कमल ज्वेलर्स द्वारा दावा की गई राशि को अपनी बिक्री में प्रदर्शित ही नहीं किया है।

व्यापारी सर्वश्री इलैक्ट्रिकल सेल्स के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण से ₹ 0.62 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

**STAN-01: देय कर पर नियमानुसार ब्याज की वसूली न किया जाना
` 0.51 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, 'स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-4 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा स्वीकृत कर कम ब्याज के साथ जमा किया गया था अथवा ब्याज रहित जमा किया गया था (विवरण तालिका में संलग्न है) जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यापारियों से ` 50,689/- वसूली शेष है। यह भी पाया गया था कि विहित समय में उक्त स्वीकृत कर कम ब्याज समेत अथवा ब्याज रहित जमा किए जाने के उपरांत भी वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

अतः, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तालिका में वर्णित ब्यौहारियों से धारा 34(4) के उपबंधों के अधीन आरोपित ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत ब्याज जमा करने पर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः, देय कर पर नियमानुसार ब्याज की वसूली न किए जाने के कारण ` 0.51 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	ब्याज @ 15%	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	ब्लू स्टार लिमिटेड कांवली रोड देहारादून	05000830927	2014-15	Mar-15	20/04/2014	23/04/2014	3	4702955.00	5798.16	5.00	235147.75
2	ब्लू स्टार लिमिटेड कांवली रोड देहारादून	05000830927	2015-16	Jul-15	20-Aug-15	24-Aug-15	4	1601672.00	2632.89	5.00	80083.60
				Aug-20	20-Sep-15	22-Sep-15	2	1645459.00	1352.43	5.00	82272.95
				Feb-20	20-Mar-16	21-Mar-16	1	3244519.00	1333.36	5.00	162225.95
				Oct-20	20-Nov-15	23-Nov-15	3	630807.00	777.71	5.00	31540.35
				Sep-20	20-Oct-15	23-Oct-15	3	851522.00	1049.82	5.00	42576.10
				May-20	20-Jun-15	22-Jun-15	2	4664467.00	3833.81	5.00	233223.35
3	रोहन मोटर्स लिमिटेड	05000961780	2016-17	May-16	20-Jun-16	24-Jun-16	4	20429040.00	33581.98	5.00	1021452.00
				Sep-20	20-Oct-16	24-Oct-16	4	18466862.00	30356.49	5.00	923343.10
				Oct-20	20-Nov-16	21-Nov-16	1	30693730.00	12613.86	5.00	1534686.50
							TOTAL	86931033.00	93330.51		4346551.65

GRAND TOTAL**4439882.16**

S.No.	Firm Name	Assesment Year	Principal amount (Admitted Tax)	Date from	Date to (date of deosit)	No. of days	interest@15%	Interest deposited	Unpaid balance	
1	आदर्श ट्यूब जी एम एस रोड	2015-16	7096.00	1-Oct-15	20-Jul-19	1369	4047.68	4.00	4043.68	
2	रिलीफ सर्जिकल अँड मेडिकल ईक्विपमेंट	2015-16	9678.00	1-Oct-15	28-Jun-19	1347	5431.78	0.00	5431.78	
3	सेविया पैकेजिंग सोल्युशंस	2015-16	8655.00	1-Oct-15	16-Oct-19	1455	5247.09	0.00	5247.09	
4	इलैक्ट्रिकल सेल्स धामावाला	2015-16	11531.00	1-Oct-15	11-Oct-19	1450	6966.65	3744.00	3222.65	
5	होकिंस कूकर लिमिटेड 25(7)	2015-16	11987.00	1-Oct-15	30-Oct-19	1469	7337.04	0.00	7337.04	
6	होकिंस कूकर लिमिटेड 9(2)	2015-16	678.00	1-Oct-15	30-Oct-19	1469	414.99	0.00	414.99	
7	सन बायो डाइग्नोस्टिक लक्ष्मण चौक 25(7)	2015-16	36283.00	1-Oct-15	1-Oct-19	1440	21769.80	0.00	21769.80	
8	सन बायो डाइग्नोस्टिक लक्ष्मण चौक 9(2)	2015-16	5348.00	1-Oct-15	7-Oct-19	1446	3222.17	0.00	3222.17	
				Total unpaid interest						₹50,689/-

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-57/2005-06	-	01	-
CT-29/2006-07	01	01	-
CT-09/2007-08	01	01,02	-
CT-19/2008-09	01,02,03,04	01,02	
CT-18/2009-10	-	03	-
CT-01/2010-11	01	-	-
CT-35/2011-12	-	01	-
CT-33/2012-13	-	01,02	-
CT-20/2013-14	-	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12	03,04,05,07
CT-29/2014-15	-	02,03,04	-
CT-16/2015-16	02,03,04,05	01,02	-
CT-27/2016-17	-	01,02,03,04	-
CT-47/2017-18	01	01,02,03,04	-
CT-49/2018-19	01	01,02,03	-
CT-90/2019-20	01,02	01,02,03,04	01

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-4, राज्य कर, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	डॉ० सुनीता पांडेय	उपायुक्त

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-IV